



श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री झावर सिंह खर्रा
माननीय मंत्री,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग



राजस्थान आवासन मण्डल

हनुमानगढ़

आवासीय योजना-फेज तृतीय
हनुमानगढ़



आवेदन अवधि

15 दिसम्बर 2025
से 31 जनवरी 2026



मध्यम आय वर्ग- अ

RAJ/P/2025/4523

हमारा प्रयास- सबको आवास

मूल्य रू0 300 + 54 = 354/-



राजस्थान आवासन मण्डल

“विशिष्ट पंजीकरण योजना 2025”

नई आवासीय योजना, फेज-3, नजदीक डीटीओ
(राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने), हनुमानगढ़
मध्यम आय वर्ग-अ के (G+3) फ्लैटों हेतु आवेदन पत्र की
बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध :
2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने
की अंतिम तिथि :
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण
हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि
एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने
की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों
की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि
एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी
आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट
www.rhb.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक
सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-बीकानेर,
मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर
मो.नं.: 9414141440

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ़,
राजस्थान आवासन मण्डल,
9/58-59, पुरानी आवासीय योजना, हनुमानगढ़
मो. नं. : 9461177748

विशेष:

1. रेरा पंजीकरण संख्या- **RAJ/P/2025/4523 dt 12.12.2025**
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भरे जायेगे
इस हेतु आवेदन पत्र कीमत रू. 354/- में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर
सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा कराई जा सकती है या चालान प्रिंट कर
निम्नलिखित बैंक में जमा कराया जा सकता है।

Bank : AU Small finance Bank Ltd.
A/c No: 2501220700000052

IFSC Code: AUBL0002207
Branch : Hanumangarh Junction

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु

यह सुनिश्चित कर लें कि:—

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही ऑनलाईन आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
2. आवेदन पत्र के साथ Online स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:—
 - i. आय संबंधी प्रमाण पत्र (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)।
 - ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
 - iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
 - iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
 - v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।



राजस्थान आवासन मण्डल

“विशिष्ट पंजीकरण योजना 2025”

नई आवासीय योजना, फेज-3, नजदीक डीटीओ
(राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने), हनुमानगढ़
मध्यम आय वर्ग-अ के (G+3) फ्लैटों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम - 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोणियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ के लिए मकान/फ्लैट उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास/फ्लैट बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“विशिष्ट पंजीकरण योजना 2025”

नई आवासीय योजना, फेज-3, नजदीक डीटीओ
(राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने), हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ की आवास/फ्लैट समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद नई आवासीय योजना, नजदीक डीटीओ (राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने), हनुमानगढ़ (पंजीकरण योजना वर्ष 2025) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें मध्यम आय वर्ग-अ के लगभग 160 (G+3) फ्लैट निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका-1

फ्लैटों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या		अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	भू तल	40	74.61 वर्गमीटर	Ground Floor - 28.78
		प्रथम तल	40	74.61 वर्गमीटर	First Floor - 26.07
		द्वितीय तल	40	74.61 वर्गमीटर	Second Floor - 25.49
		तृतीय तल	40	74.61 वर्गमीटर	Third Floor - 24.31
	कुल		160 Flats		

नोट :-

- फ्लैटों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त तालिका में फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है, जिसमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि मण्डल फ्लैटों का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त” के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैटों की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :-

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------|
| 1. | रेल्वे स्टेशन | 3.50 कि.मी. |
| 2. | जिला कलेक्ट्रेट व सिविल लाईन ऐरिया | 02.0 कि.मी. |
| 3. | मेडिकल कॉलेज के सामने | 0.05 कि.मी. |
| 4. | बस स्टैण्ड | 3.50 कि.मी. |

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास/फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है।
- (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
- प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- मण्डल द्वारा फ्लैटों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :-

आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में फ्लैट आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :-
मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित फ्लैटों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:-

तालिका 2

क्र.सं.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य %	(G-9) दिव्यांग 5%	निराक्षित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला 10%	
1	G-1	(i) (अ) राज्य कर्मचारी / बोर्ड / निगम के कर्मचारी / प्राईवेट सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी, (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से 10 वर्ष तक) (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00

		(ii)	(अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी/ (ब) सैनिक विधवाय/वीरांगनाएँ (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2	(i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3		मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4		अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5		अनुसूचित जनजाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6		वर्तमान / भूतपूर्व विधायक / सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7		स्वतंत्रता सेनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	G-8		अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10		वीरता प्राप्त सैनिक एवं एशियाड / ऑलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12		परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

- नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।
- (ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास/फ्लैटगैर वेतन भोगी वर्ग (जी 2-I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।
- (स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास/फ्लैटस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी 2-I) में सम्मिलित किया जावेगा।
- (द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।
5. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/एशियाड/ऑलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।"

6. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
7. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :-

तालिका -3

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	मध्यम आय वर्ग 'अ'	600001/- से 1200000/- तक	50000.00+1% अर्थात् कुल राशि 50500/-	1000.00+18% अर्थात् कुल राशि 1180/-	51680/-

8. प्लैटों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित प्लैटों में 45 प्रतिशत प्लैट नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।
9. नगद भुगतान पद्धति से आवास/प्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं। पंजीकरण की शेष राशि प्लैट/आवास के आवंटन पत्र के माध्यम से ली जावेगी।
11. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा। पंजीकरण की शेष राशि प्लैट/आवास के आवंटन पत्र के माध्यम से ली जावेगी।
12. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस मध्यम आय वर्ग 'अ' के आवेदक हेतु राशि रुपये 1000/- + 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
13. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध प्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
14. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के प्लैटों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका-4 अनुसार है:-

पलैट आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार पलैट आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किशतों में जमा करानी होती है। प्रथम किशत. पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किशत उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किशत का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास/पलैट आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका-4

क्र. सं.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि की किशते अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत- पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत (रूपये में)		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग-अ	50000+1% GST अर्थात कुल राशि 50500/-	35%+1% GST	30%+1% GST	30%+1% GST

15. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किशत की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।
16. आवेदकों को **बिन्दु सं. 14** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किशतों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किशत की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
17. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध पलैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में लौटा दी जावेगी।
18. **रिफण्ड**
 - (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (ii) योजना में सफल आवेदन घोषित होने के पश्चात् कब्जा राशि जमा करवाने से पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है, तो आवास/पलैट की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी) कटौति की जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
19. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
20. पलैट आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किशतें जमा करवाकर चालान की प्रतियां

कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

21. मण्डल निर्मित फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
22. किराया क्रय पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर तथा फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास/फ्लैट की एक मुश्त (नगद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
23. आवेदक को लॉटरी द्वारा फ्लैट आवंटित किये जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन-पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
24. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही फ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लैट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सकें।
25. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास/फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका फ्लैटों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:-
 - (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।
 - (ग) **अन्य खर्चे :**
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आवंटित आवास में अधिक्य (Surplus/Excess/Extra) भूमि होने पर अधिक्य भूमि की दर भी आवास की भूमि की दर के समान होने का प्रावधान किया गया है एवं नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।

26. मण्डल के फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
27. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 16 व 17 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे-आवास/फ्लैट सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
28. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लैट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। इस प्रकार प्रकरण अनुसार आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए एवं नियमानुसार अन्य राशि वसूल करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
29. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
30. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा एवं इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/फ्लैट प्रस्तावित डिजाइन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।
31. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
32. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
33. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा सम्बंधित बैंक जिससे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर" के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ़ के पते पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 34.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—हनुमानगढ़ के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात् ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
35. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास/फ्लैट लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
36. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
37. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 4 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।
38. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।
39. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. आवास/फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद आवास/फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद हनुमानगढ़ शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

- xii. यदि किसी आवेदक को हनुमानगढ़ शहर में मण्डल की किसी भी आवासीय योजना में पूर्व से ही आवास/फ्लैट आवंटित किया गया है तो ऐसे आवेदकों को योजना में द्वितीय वरीयता रखा जायेगा।
- xiii. आवेदन पत्र व पुस्तिका (Booklet) इन्टरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रू 354/- की डीडी/पे-ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदक का
फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....
.....वर्ष, जाति..... निवासी
.....एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती
हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 7 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ-पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीआयु.....
..... जाति निवासी
..(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

- यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2024-2025 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी-
- अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से
..... रुपये थी।
- ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग,
एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय
.....रुपये थी।
- स. यह कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मेरे परिवार की कुल आमदनीरुपये
थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति ...
..... निवासी सत्यनिष्ठा
से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है
तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी
पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा
आवेदक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि
भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/
संस्था (विभाग/संस्था का नाम) में..... पद
पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2024-25 की सकल वार्षिक आय
रुपयेथी।

क्रमांक/दिनांक

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... जिलासंभाग.....राज्यजाति
के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत
अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री..... निवासी जिला
. स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ताम्र-पत्र/प्रमाण-पत्र
प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव (सामान्य
प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ने
वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....निवासी.....
सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग
सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य
है।)

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य
..... से सत्र में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य
..... से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय



राजस्थान आवासन मण्डल

“विशिष्ट पंजीकरण योजना 2025”

नई आवासीय योजना, फेज-3, नजदीक डीटीओ
(राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने), हनुमानगढ़
मध्यम आय वर्ग-अ के (G+3) फ्लैटों हेतु आवेदन पत्र की
बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण हेतु
आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु		
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण-स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं
12.	क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर


कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है –सामान्य / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ दिव्यांग/ पुरस्कृत / पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक



TYPICAL FLOOR PLAN

TYPE DESIGN OF M.I.G. -A
FLATS (G+3)

DRG NO.	SCALE >
DATE >	FILE NO.
DEALT >	CHECKED >
RAJESH NARAYAN ASSOCIATE ARCHITECT	GATISH KUMAR SHARMA DEPUTY TOWN PLANNER
M.TADRI ADD. CHIEF TOWN PLANNER	M.C. AGARWAL CHIEF ENGINEER

RAJASTHAN HOUSING BOARD



AREA FOR FLATS (PER UNIT)

- BUILT UP AREA - 66.44 SQ.M.
- BALCONY (SQ.M) - 3.93 SQ.M.
- CORRIDOR & STAIRCASE - 4.35 SQ.M.
- AREA PER FLAT - 74.81 SQ.M.
- SUPPER BUILT UP AREA - 1802.8 SQ.FT.)

SCHEDULE OF OPENING

S.NO.	TYPE	SIZE	SILLEL	LIN. LEL.
1.	D1	1.10X2.10	-	2.10
2.	D2	1.00X2.10	-	2.10
3.	D3	0.90X2.10	-	2.10
4.	D4	0.75X2.10	-	2.10
5.	DW	2.10X2.70	-	2.70
6.	W1	1.20X1.00	0.80	2.70
7.	W2	1.20X1.70	1.00	2.70
8.	V	0.60X0.60	1.50	2.10

ANY DISCREPANCY SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE PLANNING CELL.

TYPE DESIGN OF M.I.G.- I FLATS(G+3)

ELEVATION

DRG. NO. RH/HD/10MID/PP/MS	SCALE 1"
DATE 20-11-2010	FILE NO.
DEALT. P.B.SAURABHIT	CHECKED-

(SIGNED) KAILASH NARAIN I
 ASSISTANT ARCHITECT

(SIGNED) MOHAMMAD I
 ADD. CHIEF TOWN PLANNER


(SIGNED) ANIL KUMAR SHARMA
 SENIOR TOWN PLANNER

(SIGNED) DR. ANAND KUMAR
 HOUSING COMMISSIONER

RAJASTHAN HOUSING BOARD



FRONT ELEVATION



REVISED LAYOUT PLAN OF (BLOCK - A), HANUMANGARH HOUSING SCHEME (NEAR D.T.O. OFFICE)

REVISED BLOCK - (A)

KHASRA NO. M.I.G. - II (G-3) = 56,15,10,25
 PATHAR NO. 133243 KILLA NO. 1 TO 25
 KHASRA NO. M.I.G. - I (G-3)
 PATHAR NO. 132944 KILLA NO. 56,15,10,25
 REVENUE VILLAGE - HANUMANGARH, TEHSIL - HANUMANGARH,
 DISTT. - HANUMANGARH, RAJASTHAN

BLOCK AREA - 13.48 HECT.

LAND USE ANALYSIS:-	AREA IN HECT.	PERCENTAGE
1. RESIDENTIAL	11.64	86.37
2. COMMERCIAL	1.18	8.75
3. INSTITUTIONAL / O.C.E / P.U.	1.58	11.72
4. PARK & GREEN	1.31	9.72
5. ROADS / PARKING	2.77	20.44
TOTAL	13.48	100.00 %

GROUP HOUSING (M.I.G. - II & M.I.G. - I)
AREA :- 9.47 HECT.

SET BACKS :-

FRONT = 17.20 M
 BACK = 17.20 M
 SIDE-I = 14.00 M
 SIDE-II = 15.20 M

SCHEDULE OF FLATS :-

M.I.G. - II (G-3) FLATS = 25 (BLOCKS)X16 = 400 NOS
 (REG. NO. - 1984/2016/17/18)
 M.I.G. - I (G-3) FLATS = 25 (BLOCKS)X16 = 400 NOS
 (REG. NO. - 1983/2016/17/18)

GROUND COVERAGE (M.I.G. II + M.I.G. I) 16424.00 SQ.M. (17.31%)

B.A.R. AREA = 65696.00 SQ.M. (0.69)

GROSS BUILT UP AREA = 65696.00 SQ.M.

SCHEDULE OF PARKING :-

PARKING PROVIDED
 PARKING REQUIRED
 (CARS - 861 NOS.)
 (BICYCLES - 10 NOS.)
 (SCOOTERS - 10M NOS.)
 OPEN AREA (PARK+PARKING+ROAD) = 9.18 HECT.

REVISED BLOCK SHOWN THIS:-

APPROVED IN 174 P.C. MEETING DATED 06-11-2025
 AGENDA ITEM NO - 03

(R.K. GUPTA)
 ASSISTANT TOWN PLANNER

(PREMJI PRANABJI SHARDA)
 SENIOR TOWN PLANNER



KEY PLAN

LAND USE ANALYSIS:-

S.NO.	USE	AREA IN HECT.	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL (BUILT UP AREA)	6.44	14.26
2	PARKING & OPEN	7.16	15.85
3	INSTITUTIONAL	3.33	7.37
4	COMMERCIAL	2.20	4.90
5	P.U.	0.93	2.06
6	PARK & GREEN BELT	6.94	15.36
7	ROADS	18.16	40.20
TOTAL		45.16	100.00 %

SCHEDULE OF FLATS :-

S.NO.	TYPE	NO. OF BLOCK	NO. OF UNITS
1	PART 'A'	19	328
2	MIG II (G-2)	25	300
3	MIG I (G-2)	50	600
4	MIG I (G-2)	64	768
5	ENS (G-2)	33	396
6	PART 'D'	104	1248
TOTAL			3540

BUILDING PARAMETERS :-

S.NO.	PART NO.	SET BACK	FRONT	SIDE I	SIDE II	REAR
1	A	10.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M
2	B	18.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M
3	C	18.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M
4	D	18.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M	15.0 M

NOTE :-

1. PARKING AVAILABLE AS PER REQUIREMENT.
2. APPROVED BY C. MEETING 139 AGENDA ITEM NO.16 DATE 9-5-2013



BOUNDARY LINE SHOWN THIS

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
 HOUSING SCHEME HANUMANGARH
 (NEAR D.T.O. OFFICE)

DRG. NO. :- R.K.B./M/J
 DATE :- 9/10/23
 SCALE :-
 DTD. BY :- GL. SHARMA

(R. S. RAJPOHITH)
 ASSISTANT TOWN PLANNER

(RITU GUPTA)
 SENIOR TOWN PLANNER

(JAVANG SHARMA)
 ADD. CHIEF TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD



राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005
info.rhb@rajasthan.gov.in



rhb.rajasthan.gov.in



हमारा प्रयास- सबको आवास